

न्यायालय – जनक कुमार हिडको, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरुद,  
जिला धमतरी (छ0ग0)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1535 / 2022

संस्थित दिनांक 12 / 12 / 2022

अपराध क्रमांक 764 / 2022

आरक्षी केन्द्र :- थाना कुरुद

**नेशनल लोक-अदालत की तिथि 11 / 02 / 2023**

1. संबंधित न्यायालय का नाम :- जनक कुमार हिडको, न्यायिक  
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरुद,  
जिला धमतरी (छ0ग0)
2. प्रकरण क्रमांक :- 1535 / 2022
3. पक्षकारों का नाम :- शा0 वि0 जेठुराम सोनवानी वगै0

**अधिनिर्णय / आदेश**

**(आज दिनांक 11 / 02 / 2023 को घोषित)**

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-** प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया है।

**प्रार्थी / आहत लादुराम कुर्रे** की ओर से अभियुक्तगण के साथ राजीनामा करने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) दिनांक 08 / 02 / 2023 को पेश किया गया। प्रार्थी / आहत की पहचान पुलिस बयान में चस्पा किए गए फोटो के आधार पर की गयी है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 के तहत प्रकरण विचाराधीन है, धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 का अपराध शमनीय प्रकृति का है। **प्रार्थी / आहत लादुराम कुर्रे** ने अभियुक्तगण के साथ स्वेच्छ्या बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के राजीनामा करना व्यक्त किया है प्रार्थी / आहत राजीनामा करने में सक्षम है। अतः राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण **जेठुराम सोनवानी, मनोज कुमार सोनवानी** को धारा 341, 294, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत समस्त जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त, परिणाम दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।

**—सही—**

|                              |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| हस्ताक्षर<br>पीठासीन अधिकारी | हस्ताक्षर<br>सदस्य | हस्ताक्षर<br>सदस्य |
|------------------------------|--------------------|--------------------|